

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक ४२

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १७ दिसम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ६  
विदेशमें ६० ८; शि० १४

## मनुष्य और मशीन

[ भारतीय विद्याभवनके पत्र 'भवन्स जर्नल' के २० नवम्बर, १९५५ के अंकमें छपे श्री नेहरूके भाषणके सारसे। ]

आज दुनियाको अीश्वर और बड़ी मशीनमें रहे असुरके बीच संतुलन कायम करना है, मशीनके भीतर रहे दैवी गुणोंको बाहर निकालना है और इसकी सावधानी रखनी है कि उसके आसुरी गुण हम पर हावी न हो जायं। आज हम तेजीसे बदलनेवाले युगमें रहते हैं, जैसे युगमें रहते हैं जब मनुष्यके हाथमें अपार शक्ति है। हम मशीनसे दूर नहीं भाग सकते; वह हमारे लिये अनिवार्य है, क्योंकि केवल मशीन ही आजकी समस्याएँ हल कर सकती है। अगर हमें मशीन रखनी ही है तो शिल्पविज्ञानकी और दूसरी दृष्टियोंसे नबीसे नबी और अुत्तम मशीन रखना चाहिये।

लेकिन मशीन निश्चित रूपसे मनुष्योंके कल्याणके लिये है। अगर कहीं मशीन मनुष्योंकी स्थिति सुधारनेके बदले अुन्हें दुःखी बनाये और मुसीबतोंमें फंसाये तो हम हर तरहसे नुकसानमें ही रहेंगे। इसलिये मशीन तभी बरदाश्त की जा सकती है जब उसका संबंध मानवता, सहिष्णुता और करुणाके साथ जुड़ जाय। वर्ना मशीन युद्धके दिनोंकी तरह तबाही मचा देगी, जब मशीन या फौजी दिमाग — जो मशीन या अेक रास्ते चलनेवाले दिमागका दूसरा नाम है — का ही बोलबाला रहता है।

अधिक आगे बढ़े हुअे देश अपने लोगोंकी भोजन, वस्त्र, मकान वगैराकी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनेके बाद दूसरी बातोंके बारेमें सोच रहे हैं, जब कि भारत तथा अेशिया और अफ्रीकाके दूसरे देशोंको अपने लोगोंकी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनी हैं। अेशिया और अफ्रीकाके देशोंको आवश्यक तौर पर अपनी प्राथमिक जरूरतोंके बारेमें सोचना पड़ता है, जब कि युरोप और अमेरिकाके देशोंने अपने लोगोंकी ये जरूरतें पूरी कर दी हैं; यह हकीकत अेशिया और अफ्रीकाके लोगों तथा युरोप और अमेरिकाके लोगोंकी दृष्टिमें काफी बड़ा फर्क पैदा कर देती है।

हमें कुछ आदर्श और अुद्देश्य अपने सामने रखने चाहिये, परंतु अन्तमें तो हर चीजको इसी कसौटी पर कसा जायगा कि अुसनें देशके लोगोंकी प्राथमिक जरूरतें किस हद तक पूरी की हैं। इस बारेमें मुझे कोअी शंका नहीं है कि भारत प्रगति करनेमें समर्थ होगा और अपनी जनताकी भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्यकी प्राथमिक जरूरतें पूरी कर सकेगा। प्रत्येक नागरिककी ये जरूरतें पूरी होनी ही चाहिये।

(अंग्रेजीसे)

जवाहरलाल नेहरू

## अम्बर चरखा

गांधीजीके अनेक स्वप्नोंमें से अेक स्वप्न था खादीके जरिये देशमें आर्थिक क्रान्ति करनेका। खादीका या चरखेका विचार गांधीजीको स्वदेशी-धर्मके अुनके व्यापक सिद्धान्तमें से प्राप्त हुआ था। वे कहते थे कि यह सिद्धान्त सारे जगतके लिये है। और अुनका यह निश्चित मत था कि इस सिद्धान्त पर अमल किये बिना दुनियामें शांति कायम नहीं हो सकती।

इसके खिलाफ बहुतसे लोग कहते थे कि मिलों और यंत्रोद्योगोंके इस जमानेमें यह बात कैसे चलेगी? फिर भी अेक भाओीका यह कथन बिलकुल सत्य है कि गांधीजीने इस विषयमें अुलटी गंगा बहा दी! अुपर बताये विचार रखनेवाले आज भी बहुत लोग हैं, फिर भी खादीका सिद्धान्त आजके जमानेमें भी सच्चा है और अुसका स्वीकार धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूपमें होता ही जा रहा है।

खादीके विरुद्ध अेक मुख्य आपत्ति यह की जाती थी कि वह यंत्रोंके खिलाफ है। आज भी यही बात रटते रहनेवाले लोग देशमें मौजूद हैं। इसके अुत्तरमें गांधीजीने कअी बार कहा था कि मैं यंत्रोंका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अुनका अंधा पुजारी भी नहीं हूँ। मनुष्यके कल्याणमें अुनका अुपयोग होना चाहिये। इसलिये यंत्रोंकी मर्यादा समझनेकी जरूरत है; अुनके त्यागका तो प्रश्न ही नहीं अुठता।

इस कारणसे ठेठ १९२५-२६ में अुन्होंने चरखा-संघकी ओरसे अेक अच्छे चरखेकी शोधके लिये अेक लाख रुपयेका अिनाम जाहिर किया था। अुस समय तो यह अिनाम जीतनेवाला कोअी नहीं निकला, हालांकि कअी प्रतिस्पर्धी आये थे जरूर। लेकिन किसीका काम अैसा नहीं मालूम हुआ, जो कसौटी पर पूरी तरह खरा अुतर सके। यह सादी घटना भी बताती है कि खादीका आर्थिक तत्त्वज्ञान यंत्रोंके विरुद्ध नहीं है, बल्कि यंत्रको मानव-सेवाका साधन मानकर अुसके लिये अुचित यंत्र तैयार करनेमें अुसकी श्रद्धा है। यह दुःखकी बात है कि भारतके किसी वैज्ञानिकने इस दृष्टिसे चरखे, पीजन आदिकी खोजमें शायद ही कभी मदद की। स्वराज्यकी लड़ाओीकी तरह गांधीजीने यह काम भी लगभग अपढ़ कहे जानेवाले लोगोंसे ही कराया और खादीके संदेशको आगे और अधिक आगे बढ़ाया।

इसलिये गांधीजीको अच्छा चरखा खोजनेके कामकी हमेशा चिन्ता रहती थी; १९४६ में अंतिम बार सेवाधाम छोड़ते समय भी अुन्होंने कहा था: "हम अैसा चरखा क्यों नहीं निकाल सकते, जिस पर लोग खुशीसे कातें, अुन्हें कातनेका अुपदेश न देना पड़े? हमारे दिमाग जड़ हो गये हैं, वर्ना अैसा चरखा बनाना कठिन नहीं होना चाहिये।"

सौभाग्यसे आज असा चरखा मिलनेकी आशा बंध रही है। जिसका श्रेय तामिलनाडुके एक किसान युवकको है। लगभग पांच बरस पहले उस युवकने चरखेके असे नमूनेकी शोष शुरू की थी, जिस पर मिलकी पद्धतिसे काता जा सके। और अपनी सूझ-बूझके अनुसार एक चरखा तैयार करके उसने चरखा-संघको भेंट दिया। संघने उस पर अपने प्रयोग शुरू किये और उसमें सुधार करके काम दे सकने लायक एक नमूना तैयार किया। उस युवकके नाम पर जिस चरखेको 'अंबर चरखा' कहा जाता है। उसके द्वारा भारतकी औद्योगिक पुनर्रचनामें क्रान्तिकारी आरंभ करनेकी संभावना दिखायी देती है।

यह चरखा चार तकुओंका है। असा अनुमान है कि ४०-५० रुपयेमें वह बेचा जा सकेगा। जिसके सिवा, लोढ़ने और पूनी बनानेका औजार भी उसके साथ तैयार किया गया है। लगता है कि यह पूरा सेट लगभग सौ रुपयेके भीतर दिया जा सकेगा। यदि उसे बड़े पैमाने पर तैयार करनेकी आवश्यक सुविधायें मिल जायं और यंत्रशास्त्री तथा सरकार जिस काममें मदद करें तो निश्चित है कि जिससे भी कम कीमतमें वह मिल सकेगा।

जिस चरखे पर प्रतिघंटे औसतन दो गुंडी सूत अंतरता है। सूतकी समानता और मजबूती बहुत अच्छी होती है और उससे बननेवाली खादी बहुत मजबूत और टिकाबू होती है। असी धारणा है कि जिस चरखेसे वस्त्र-स्वावलंबन सिद्ध करनेमें तथा बेकारी दूर करनेमें बड़ी मदद मिलेगी। जिसलिजे अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने दूसरी पंचवर्षीय योजनामें उसे स्थान दिया है और जिस समय उसकी चर्चा अच्च कक्षा पर ठेठ दिल्लीमें चल रही है।

जिस चर्चके बहुत गंभीर परिणाम आयेंगे। वह यदि सफल हो जाय तो खादी द्वारा क्रान्तिका मंत्र अपनी शक्ति प्रकट करेगा। अतः उसके विरोधी बल भी सुसज्ज हो गये हैं, जिनमें मालूम होता है केन्द्रीय सरकारके अद्योग-मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तथा मिल-अद्योगमें हित रखनेवाले लोग भी हैं। श्री कृष्णमाचारी किस हद तक जाकर और विवेक छोड़कर बात करते हैं, यह इसी परसे देखा जा सकता है कि श्री वैकुण्ठभायी महेता जैसे सौम्य और शान्त व्यक्तिको भी अुनके खिलाफ सार्वजनिक रूपमें लिखना पड़ा है। (देखिये, ता० ३-१२-५५ के 'हरिजनसेवक' में पृष्ठ ३३३ पर छपा लेख।) असा करके श्री कृष्णमाचारीने कमसे कम अपने पदकी शोभा तो नहीं ही बढ़ायी। और भारतके औद्योगिक पुनर्रचना पर अुन्होंने जाने-अनजाने या अपनी सत्ताके मद या मोहमें प्रहार करनेका पाप किया है। वे यदि केन्द्रीय सरकारके प्रति जिम्मेदार हों तो किसीको अुनसे जिसके लिजे जवाब तलब करना चाहिये।

अम्बर चरखेके पीछे क्या छिपा है, यह समझानेके लिजे एक छोटीसी मिसाल देना काफी होगा। अपर मने १९२६ में नये चरखेके लिजे गांधीजी द्वारा घोषित एक लाखके अिनामकी बात कही है। उस अिनामकी होड़के परीक्षकोंमें गांधीजीने अहमदाबादके एक प्रसिद्ध मिल-मालिकको भी रखा था। अच्छेसे अच्छा नमूना भी अुनकी अपेक्षा तक नहीं पहुंच पाया था जिसलिजे उस पर अिनाम तो नहीं मिला था। परंतु उसे देखकर उस मिल-मालिकने गांधीजीसे कहा था कि असा चरखा यदि बन जाय तो मिल-अद्योगका अन्त आ जायगा और कपड़ेका अद्योग विकेंद्रित हो जायगा।

बेकारी दूर करनेके अुपायकी शोष करते करते गांधीजीकी चरखा मिला था। अब अम्बर चरखेने वस्त्र-अद्योगको ग्रामोद्योगके रूपमें विकेंद्रित करनेका मार्ग बताया है और जिस तरह उस मिल-मालिककी बातको अनसोचे ढंगसे ताजा कर दिया है। इसी कारणसे उसका विरोध खड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकारका अद्योग-

विभाग भी अुसमें शरीक है, यह सौ मानता हूं कि सरकारकी नहीं परंतु अुसके एक मंत्रीकी वैयक्तिक नीति ही होगी। परंतु यदि सरकारकी संयुक्त जिम्मेदारी हो तो अुसका एक मंत्री अपनी नीति नहीं चला सकता। सरकारी तंत्र असी बातोंमें अगर व्यवस्थित और अनुशासनबद्ध न हो तो देशके भविष्य पर अुसका बुरा असर हुअे बिना नहीं रहेगा। अंबर चरखेकी शक्तिको बढ़ानेके बदले अुसे रोकनेके प्रयत्न देशके सच्चे आर्थिक विकासका द्रोह माने जायंगे, क्योंकि अम्बर चरखेके मार्गसे भारतकी गरीब प्रजाकी आर्थिक अुन्नति या स्वतंत्रताकी कुंजी हासिल हो सकती है।

५-१२-५५

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

## अम्बर चरखेका अर्थशास्त्र

[ १ दिसम्बर, १९५५ के 'अ० आजी० सी० सी० अिकॉनामिक रिव्यू' से अुद्धृत किये गये नीचेके लेखसे पाठकोंको यह कल्पना आयेंगी कि अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने दूसरी पंचवर्षीय योजनामें क्या क्या करनेका सुझाव रखा है। योजना-कमीशनकी कर्वे-कमेटीने अपनी रिपोर्टमें बोर्डके जिस सुझावको सामान्य रूपमें स्वीकार किया है। ]

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड दूसरी पंचवर्षीय योजनाके दरमियान २५ लाख अम्बर चरखे दाखिल करने और अपने १५० करोड़ गज कपड़ा-अुत्पादनके लिजे आवश्यक ४१ करोड़ २० लाख पाँड सूत तैयार करनेका विचार रखता है। पांच वर्षके समयमें हर वर्ष होनेवाले सूत और कपड़ेके अुत्पादनके तफसीलवार आंकड़े नीचेके कोष्ठकमें बताये गये हैं:

### अुत्पादनका कार्यक्रम

| तफसील  | पहला वर्ष | दूसरा वर्ष | तीसरा वर्ष | चौथा वर्ष | पांचवां वर्ष |
|--|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| १. जरूरी चरखा सेट* (लाखमें)                        | १९५६-५७   | १९५७-५८    | १९५८-५९    | १९५९-६०   | १९६०-६१      |
| २. सूतका अुत्पादन (लाख पाँडमें)                    | २०६       | ६१९        | १,४४४      | २,६८२     | ४,१२५        |
| ३. कपड़ा-अुत्पादन — अम्बर चरखेका कपड़ा (लाख गजमें) | ७५०       | २,२५०      | ५,२५०      | ९,७५०     | १५,०००       |

खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड आशा करता है कि २५ लाख अम्बर चरखे दाखिल करनेसे देशके ५० लाख कतवैयोंको तथा ८.४६ लाख बूनकरों और अुनके ४.२५ लाख सहायकोंको कुछ समयका और पूरे समयका काम मिलेगा; जिसके सिवा ७२,००० सुतारों और अुनके सहायकोंको तथा लगभग २०,००० दूसरे लोगोंको व्यवस्था और संगठन तंत्रमें पूरे समयका काम मिलेगा।

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गयी खादीकी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर अमल करनेसे सारी प्रक्रियाओंमें ५४ लाख आदमियोंको काम मिलेगा—यहां एक दिनके पूरे कामका समय ८ घंटे माना गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजनाके लिजे पेश किये गये खादी-ग्रामोद्योग बोर्डके कार्यक्रम पर अमल करनेसे कतवैयों और कर्तियोंकी औसत कमायी मामूली चरखे पर प्रतिदिन करीब ६ आनेसे बढ़कर अम्बर चरखे पर लगभग १२ आने तक पहुंच जायगी। यानी १०० फी सदी बढ़ जायगी। अम्बर चरखे पर रोज औसतन २० नंबरका १६ गुंडी सूत तैयार हो सकता है, जब कि मामूली चरखे पर

\* चरखा सेटमें अम्बर चरखा तथा लोढ़ने और पीजनेका औजार शामिल है।

औसतन् १६ नम्बरका ३ गुंडी सूत ही तैयार होता है। अम्बर चरखेका सूत तुलनामें अधिक समान और अधिक मजबूत होता है। जिसके फलस्वरूप मामूली चरखेके सूतसे अम्बर चरखेका सूत बुननेमें कम कठिनायियां होती हैं। प्रति घंटेका उत्पादन काफी ज्यादा होनेके सिवा अम्बर चरखेका सूत जहां कहीं भी आजमाया गया वहां अपेक्षाकृत अधिक अच्छा साबित हुआ है, जिसकी वजहसे हाथ-करघे पर काम करनेवाले बुनकरों द्वारा वह अधिक स्वीकार किया जायगा। जिसलिसे यह स्वाभाविक है कि हाथ-करघेके बुनकर सालमें थोड़े या ज्यादा समयके लिसे बेकार रहनेके बजाय अम्बर चरखेका सूत काममें लेना ज्यादा पसन्द करेंगे।

खादीका कार्यक्रम देशके हाथ-करघा बुनकरोंकी आयमें वृद्धि करके उनकी आर्थिक स्थितिमें सुधार करेगा, जो बहुत महत्त्वकी बात होगी। टेक्सटाइल इन्व्वायरी कमेटीने हाथ-करघा बुनकरकी मौजूदा औसत आमदनी प्रतिदिन रु० १-२-० मानी है। खादी बोर्डका कार्यक्रम हर हाथ-करघा बुनकरको प्रतिदिन कमसे कम रु० १-८-० कमाने लायक बना देगा; और जिसकी कार्यक्षमता या कुशलता औसत बुनकरसे अधिक होगी, उसकी आमदनी प्रतिदिन रु० १-८-० से रु० ३-०-० के बीच रहेगी।

जिसलिसे देशकी आबादीके विभिन्न वर्गोंको कामधंधा देने और उनकी आर्थिक दशा सुधारनेकी आवश्यकताकी दृष्टिसे या देशके बुनकरों, उनके सहायकों तथा बहुत बड़ी संख्यामें कत्तिनोंके जीवन-मानके योजनाबद्ध सुधारकी दृष्टिसे देखते हुअे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके जिस कार्यक्रमका बड़ेसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक महत्त्व है।

(अंग्रेजीसे)

### भाषाओंमें मां-मौसीका न्याय

[गु० सा० परिषद्के ता० २७-२८ अक्टूबर, १९५५ को हुअे १९ वें अधिवेशनके शिक्षा और संस्कार विभागके अध्यक्षके नाते दिये गये भाषणसे।]

दो हफ्ते पहले अहमदाबादमें भाषा-कमीशन आया था। उसके सामने साक्षी देनेका मौका मिलने पर और उसके साथ चर्चा करने पर कुछ सदस्योंका हिन्दी और अंग्रेजीका पक्षपात साफ मालूम हो जाता था। हिन्दी भाषाको कॉलेजोंमें शिक्षाका माध्यम बनानेकी आवश्यकता पर जोर दिया जाता था। मैं समझ नहीं पाता कि किस सिद्धान्तके आधार पर ऐसा आग्रह रखा जाता है।

जिस बातसे कोअी अिनकार नहीं करता कि हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषायें सीखनी चाहिये और जिससे आगे बढ़कर दुनियाके कुछ देशोंकी भाषायें भी हमें सीख लेनी चाहिये। जिसके सिवा, खास तौर पर अैसी भाषाओंका अम्यास जरूरी है जो भलीभांति विकसित हैं और जिनका साहित्य विशाल और बहुलक्षी है। अैसी अेक-दो भाषायें हमारे नौजवानोंको सीखनी पड़ेंगी, हमें अुन्हें सिखानी ही पड़ेंगी। परंतु अितनेके लिसे अुन भाषाओंको माध्यमके तौर पर लादनेकी वृत्ति किसी भी कारणसे बरदाश्त नहीं की जा सकती।

हिन्दीको कॉलेजके माध्यमके रूपमें और अंग्रेजीको अुच्चतर शिक्षणके माध्यमके रूपमें जारी रखनेकी जो बातें फैलायी जाती हैं वे कितनी खोखली और बेबुनियाद हैं, यह सब कोअी देख सकते हैं। स्वार्थके लिसे, अिनेगिने अेक फीसदीसे भी कम युवकोंको केन्द्रीय सरकारमें नौकरियां मिलनेके लिसे, देशका अुच्च कक्षाका कामकाज हिन्दीमें चले इसके लिसे या विदेशोंके साथका व्यवहार अंग्रेजीमें चले इसके लिसे और अुनमें भाग लेनेवाले अेक या डेढ़ फी सदी लोगोंके लिसे बाकीके ९८ या ९९ फीसदी लोगोंके शिक्षणको खतरेमें डालना न्याय नहीं है, आजके लोकशाहीके जमानेके अनुकूल नहीं है। परभाषाका माध्यम लादकर नयी पीढ़ीकी बुद्धिके विकासको रोकना ठीक नहीं।

हिन्दीके पक्षमें अेक दलील यह दी जाती है कि हिन्दी और गुजरातीका संबंध मौसी और मांके संबंध जैसा है। कोअी हिन्दीके रसिया तो 'मा मरे, पर मौसी जीये' की कहावत कहकर हिन्दीको माध्यमके रूपमें अपनातेका प्रचार करते हैं। अमुक व्यवहारके बारेमें यह कहावत भले सच हो, परंतु अेक बात कोअी भूल नहीं सकता कि मां आखिर मां है और मौसी मौसी ही है। मौसी कभी मां नहीं बन सकती। हिन्दीको माध्यमके रूपमें स्वीकार करनेसे बहुत बड़े भागके बालकोंकी बुद्धिका विकास निश्चित ही रहेगा और जिस प्रकार अंग्रेजी माध्यम द्वारा मिली हुअी शिक्षा केवल अूंचे स्तरके अमुक लोगों तक ही मर्यादित रही, अुसी प्रकार हिन्दी द्वारा मिलनेवाली शिक्षाका भी होगा। केवल कुछ फीसदीका ही फर्क पड़ेगा। यहां मुझे मेकॉलेकी चर्चके समय हॉरेस विल्सन द्वारा अुपयोग किया हुअा अेक वाक्य याद आता है, जो चेतावनीके रूपमें था और जिसे काफी प्रसिद्धि नहीं मिल पायी थी। अुन्होंने कहा था: "Knowledge garbed into a foreign language will be the property of only the few who have leisure and opportunity to achieve it." (विदेशी भाषाका बाना पहना हुअा ज्ञान कुछ अिनेगिने लोगोंकी जायदाद बन जाता है, जिनके पास अुसे प्राप्त करनेका अवकाश और अवसर है।) जिस वाक्यमें रहा सत्य आज हम देखते हैं और जिसमें जरा भी शंका नहीं कि जिसका सुधरा हुअा संस्करण हमें हिन्दी माध्यमके फलस्वरूप देखनेको मिलेगा।

विदेशोंमें विद्याभ्यास करनेके लिसे जानेवाले, अुच्चतर शिक्षा लेनेवाले और अेक युनिवर्सिटीसे दूसरीमें जानेवाले विद्यार्थियोंका क्या होगा, अैसा कहकर हिन्दी और अंग्रेजीकी जो हिमायत की जाती है, वह भी अितनी ही खोखली है। मातृभाषाको माध्यमके तौर पर स्वीकार करनेवाली युनिवर्सिटियोंने हिन्दी और अंग्रेजी भाषाके अम्यासकी — यथासंभव ठोस अम्यासकी — व्यवस्था अपने अम्यासक्रममें की ही है। यदि सात वर्षके अंग्रेजी अम्यासके बाद अेक बालक कॉलेजमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा अपना काम चला सका तो सात बल्कि आठ वर्षका बड़ी अुम्रमें किया हुअा अंग्रेजीका अध्ययन अुसे अवश्य अंग्रेजी द्वारा अुच्चतर शिक्षण लेने योग्य बनायेगा, और जिसी तरह सात वर्षका मौसी भाषाका अध्ययन किसी भी बालकको आवश्यकता होने पर हिन्दी माध्यमवाले कॉलेजमें पढ़नेके लायक बना देगा। परंतु संयोगवश अैसे कुछ मातृहीन बन जानेवाले बालकोंके खातिर देशके सब बालकोंकी मां मार डालनेका सिद्धान्त स्वीकार करनेके लिसे कोअी भी शिक्षित युवक आज तैयार नहीं होगा।

भाषा-कमीशनके साथ हुअी चर्चामें पारिभाषिक शब्दोंके प्रश्न पर भी विचार किया गया था। पारिभाषिक शब्द तैयार करनेका काम हमारी परिषद्को अुठाना चाहिये। जिसमें पूर्णताका खयाल न रखते हुअे तुरन्त तो अेक कामचलाअू सर्वमान्य कोश ही जरूरी तैयार किया जाना चाहिये। आगे जैसे-जैसे आवश्यकता मालूम हो, वैसे-वैसे अुसमें सुधार और परिवर्धन करनेकी गुंजायिश रहनी चाहिये। इसके लिसे अेक केन्द्रीय कमेटीकी जरूरत पड़ सकती है, दूसरी भाषाओंमें काममें लिये जाये अेक शब्द देखते पड़ सकते हैं और जिस सारे कार्यकी व्यवस्था करनेकी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी हमारी परिषद्को जिस कार्यमें पहल करना चाहिये। जिस संबंधमें पहले कुछ प्रयत्न हुअे हैं, जो सफल रहे हैं। अुनके आधार पर हमें यह कार्य आगे अुठाना चाहिये। आज तो हम यह कहकर कि यह कार्य युनिवर्सिटीका है किसी भी प्रकारकी पहल-जिस दिशामें नहीं करना चाहते। लेकिन परावलंबी वृत्ति धारण करके बैठे रहनेसे हमारा काम नहीं चलेगा।

(गुजरातीसे)

लालभायी र० देसायी

## हरिजनसेवक

१७ दिसम्बर

१९५५

### करघा बनाम चरखा!

लेखका शीर्षक शायद पाठकोंको विचित्र लग सकता है। करघेका चरखेसे विरोध कैसा! — असा अन्हें लगेगा। परन्तु भारतका जो नया आर्थिक इतिहास इस वक्त रचा जा रहा है, उसमें कुछ लोगोंकी समझ असी मालूम होती है मानो अिन दोनोंके बीच कोअी विरोध हो। यह विचित्र बात है। यह विचित्रता बतानेके लिये ही असा शीर्षक देकर मैं यह लेख लिख रहा हूं।

पाठकोंको याद होगा कि दो-अेक साल पहले आजके नायब अुद्योग-मंत्री श्री कानूनगोकी अध्यक्षतामें कपड़ा-अुद्योगकी जांच करनेके लिये केन्द्रीय सरकारने अेक समिति नियुक्त की थी, जिसकी रिपोर्टकी बहुत तारीफ हुअी थी। इस पत्रमें मैंने अुस विषयमें लिखा था, जो पाठकोंको याद होगा। (देखिये, हरिजनसेवक, १६-१०-५४)

कानूनगो-समितिकी रिपोर्टमें मिल, यंत्र-करघा, झटका-करघा तथा हाथसे ढरकी फेंक कर कपड़ा बुननेके सादे खड्डा-करघाका भी विचार किया गया था। अुसमें ध्यान देनेकी बात यह थी कि रिपोर्टमें बताये गये ये सारे करघे मिलका सूत काममें लेनेवाले थे। अर्थात् हाथ-सूत देनेवाले चरखे और अुस सूतसे बननेवाली खादीकी गिनती अुसमें नहीं की गअी थी, हालांकि अेक आपत्ति-जनक वाक्य अुसमें लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि यहां हमने खादीका विचार नहीं किया है; अुसकी अलगसे स्वतंत्र जांच की जानी चाहिये। परन्तु असी कोअी स्वतंत्र जांच इस विभागकी तरफसे की नहीं गअी, और कानूनगो-समितिके अपनी जांचमें या योजनामें खादीको कोअी स्थान दिया भी नहीं था।

अुपरोक्त समितिकी इस तरहकी रिपोर्टसे साफ मालूम हो गया था कि केन्द्रीय सरकारका अुद्योग-विभाग चरखे, अुसके सूत तथा अुसे बुननेवाले करघों और खादीको, अुसका बस चले तो, अेक ओर रखकर चलनेकी इच्छा रखता था। अुद्योग-विभाग खादी जैसी चीजका नाम लेता है यह भी मजबूरीसे ही लेता होगा, क्योंकि गांधीजीकी पेश की हुअी खादीकी खुली अपेक्षा या निन्दा करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। परन्तु अुस विभागके अध्यक्षको खादीका नाम लेना पसंद नहीं था, यह अब साफ दिखाअी देने लगा है। अितना स्पष्ट रख बतानेके लिये भी अुन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिये, यद्यपि अुस रखकी सचाअी, बुद्धिमत्ता या समझके बारेमें असा नहीं कहा जा सकता।

केन्द्रीय सरकारके अुद्योग-विभागकी मरजी असी म्प्रुन्न होती है कि कपड़ा-अुद्योगमें मिलोंके साथ और अुद्योग-श्रमिकोंके बीच यंत्र-करघेका अुद्योग देशमें कायम अुद्योग-धर्म। इस कारणसे वह आंच चल रहे हाथ-करघे; अुस-करघोंमें बदल डालनेका अिश्वास रखता है। अिसके लिये वह विकास-योजनाके षे काममें लेना चाहता है। और अपने हाथ-करघा बोर्डके अरिये वह इस वक्त असी ही तजवीज कर रहा है।

असा करनेसे सादे करघे धीरे धीरे यंत्र-करघे बनते जायंगे और अुसके लिये आवश्यक सूत मुहैया करनेके लिये मिलोंमें तफुअे बढ़ाये जायंगे, अर्थात् नअी मिलें खड़ी की जायंगी। परन्तु इस वक्त नअी मिलें खोलने पर जो प्रतिबन्ध लगे हुअे हैं, वे अुठा दिये जाने चाहिये। यह अुद्योग-विभागका दूसरा अ्यव मालूम होता है।

अुद्योग-विभागकी असी वृत्ति होनेसे यदि हाथ-सूत बुननेवाला जुलाहा मिल-सूत बुननेकी तरफ मुड़े तो इसमें अुद्योग-विभागकी प्रगति हुअी मालूम होती है और अिसे वह प्रोत्साहन देने योग्य मानता है।

अब सच पूछा जाय तो मिलके सूतकी देशमें अितनी बहुतायत नहीं है कि जुलाहोंका अधिकाधिक मात्रामें अुसे बुननेकी तरफ मुड़ना जरूरी हो। हकीकत तो यह है कि आज मिलका सूत बुननेवाले अितने करघे हैं अुनकी जरूरतका सूत भी मिलें नहीं दे पाती हैं। इस कारणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाथ-सूत भी यथासंभव ज्यादासे ज्यादा पैदा किया जाय और इस तरह खादी-अुद्योगको आगे बढ़ाया जाय। सरकारके योजना-कमीशनने भी इस बातका समर्थन किया है। यह विचित्र है कि असा करनेके बजाय सरकारका अुद्योग-विभाग मिलें खोलना पसन्द करता है, परन्तु यह नहीं चाहता कि देशमें चरखे चलें! इस विभागके अध्यक्ष आज अम्बर चरखेके बारेमें जो रख बता रहे हैं, अुससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है।

अिसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिये कि अुनका यह रख अुनकी प्रामाणिक मान्यताके कारण ही होगा। यंत्र और यंत्रोद्योगकी संस्कृतिको वे आदर्श मानते हैं। अुनके जैसी मान्यतावाले दूसरे भी अनेक लोग देशमें होंगे। असे लोगोंके आधार पर ही आज अुद्योगपति अपनी मनपसंद व्यवस्था कायम रखने और यथा-संभव आगे बढ़ाकर अुसे देशमें मजबूत बनानेकी ताकतमें हैं। यह परिस्थिति आज अचानक नहीं पैदा हुअी है। जैसे-जैसे भारतकी आर्थिक विकास योजनायें आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे यह परिस्थिति अधिक स्पष्ट होती जाती है। ब्रिटिश राज्यकालमें अिन अुद्योगोंका विकास हुआ वे आज आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्यका आश्रय खोजते हैं। अितना ही नहीं, वे यह भी स्वीकार करा लेना चाहते हैं कि राष्ट्रकी नअी विकास-दृष्टिमें अुनका भी स्थान है। भारतके अुद्योग-मंत्री जैसे लोग, जो आज सत्ताके स्थान पर होनेके कारण प्रचलित विचारसरणी पर न केवल अपना असर और प्रभाव ही डाल सकते हैं, बल्कि विरोधी विचार रखनेवाले खादी-दृष्टिके वर्गोंकी हंसी अुड़ानेकी हद तक भी पहुंच जाते हैं, इस दिशामें आज जोर लगा रहे हैं। अुन्हें चरखा अर्थात् देशकी बेकारी दूर करनेका जबरदस्त कार्यक्रम पसंद नहीं आता। वह दिशा ही अुन्हें अुलटी मालूम होती है; अितना ही नहीं अुसमें अुन्हें अपने प्रिय मिल-अुद्योगोंके लिये भय मालूम होता है। और यह तो मानसशास्त्रसे सिद्ध हो चुका है कि भयकी दशामें मनुष्यके विचारों पर अेक प्रकारका आवरण छा जाता है या अुसे मोह हो जाता है अथवा अुसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हो सकता है असा परिणाम भी आया हो। यह इस वर्गके कुछ वाचाल लोगोंके वचनों परसे साबित किया जा सकता है।

अिस वर्गके लोगोंकी विचारसरणीमें असल कमजोरी यह है कि यंत्रोद्योगों द्वारा अर्थ-व्यवस्था करनेके अुनके तरीकेसे देशकी भयंकर बेकारी दूर नहीं हो सकती। बल्कि जैसे-जैसे यंत्रोद्योग बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे बेकारी बढ़ती जाती है, अिसे कर्वे-समितिके 'यंत्रोद्योगोंसे पैदा होनेवाली बेकारी' कहा है।

अिस तरह बेकारी बढ़ानेवाली नीति तो देशको कैसे पुसा सकती है? बेकारी-निवारण आज हमारे देशका और सरकारका मुख्य कार्य है। अिसे स्वीकार करके सरकार अगर न चले तो वह खुद भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती, असी स्थिति आज है। अिसी कारणसे नअी विकास-योजनामें खादी और ग्रामोद्योगोंको अविचार्य अंगके रूपमें स्थान प्राप्त हुआ है।

अुद्योग-मंत्री श्री कृष्णमाचारी स्पष्ट शब्दोंमें तो इस नीतिका विरोध कैसे कर सकते हैं? परन्तु अितना निश्चित है कि

अनुहें यह नीति पसंद नहीं है। फिर भी आशा रखें कि जैसे कुछ वर्ष पहले हाथ-करघा अनुहें अच्छा नहीं लगता था, परन्तु श्री राजाजीके प्रचण्ड प्रचारके कारण उसका महत्त्व अनुकी समझमें आया था, उसी तरह उससे आगेकी और उसीसे उत्पन्न होनेवाली करघेकी वातका कड़वा घूट भी वे पी लेंगे। परन्तु आज तो ऐसा लगता है कि वह कड़वा घूट पीनेमें अनुहें मतली आती है। और इसी कारण अनुका विभाग ऐसा मानकर चलता है मानो चरखा हाथ-करघेके खिलाफ हो, तथा कानूनगो-समितिकी सिफारिशोंको आगे बढ़ाना और कर्वे-समितिकी सिफारिशोंको पीछे रखना या अनुकी अपेक्षा करना चाहता है।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह विचित्र बात है। सच पूछा जाय तो उसे यह समझना चाहिये कि कानूनगो-समितिके जो अपेक्षा रखी थी कि खादी और चरखेका विचार दूसरी समितिके करना चाहिये वह अपेक्षा अब कर्वे-समितिके पूरी की है। इससे उसे खुश होना चाहिये। परन्तु आज तो ऐसा दिखायी देता है मानो जिन दो समितियोंकी रिपोर्टें उसके मनमें अक-दूसरेसे लड़ रही हों।

कानूनगो-समितिकी रिपोर्टको यदि यंत्रोद्योगवादी या यंत्र-करघा-रिपोर्टका नाम दें, तो कर्वे-समितिकी रिपोर्टको ग्रामोद्योगवादी या अम्बर-चरखा-रिपोर्ट नाम दिया जा सकता है। वस्तुतः जिन दोनोंमें कोआ विरोध नहीं होना चाहिये; बल्कि दोनों अक-दूसरेकी पूरक होनी चाहिये। और ऐसी ही नीति सरकारने और उसके योजना-कमीशनने स्वीकार की है। जिस चीजको समझे बिना यदि भारतका उद्योग-विभाग चलेगा तो कहा जायगा कि वह अपने कर्तव्यको भूलकर गलत रास्ते जा रहा है।

भारतकी आर्थिक प्रगतिकी दिशा पश्चिमका अंधा होते हुअे भी ज्ञानके घमंडसे भरा हुआ अनुकरण करनेमें नहीं, बल्कि जगतमें शांति-परायण, मानवतापूर्ण तथा सर्वोदयी अर्थ-व्यवस्था कौनसी है यह खोजकर उस मार्ग पर चलनेमें छिपी हुअी है। श्री कृष्ण-माचारी आश्रमों और 'पुरानी रीतियों' वाला कह कर जिसकी हंसी बुड़ाते हैं, वह वास्तवमें यह समझकर चलनेवाला आर्थ विचारमंडल है कि जगतके कल्याणकी ऐसी दिशा भविष्यके गर्भमें है। यह सच है कि पश्चिमकी घातक यंत्रोद्योगी दिशाका अन्धकार उसकी दृष्टिके नहीं पैठा है।

जिसलिये केन्द्रीय सरकारका उद्योग-विभाग चरखेको ज्यादा अच्छा यंत्र बनानेके प्रयत्नका स्वागत करे और भारतके कपड़ा-उद्योगमें अम्बर चरखे जैसे औजारको दाखिल करनेके शुभ आरंभकी कदर करे तो अच्छा होगा। उसके बिना देशकी बेकारी दूर करनेमें सफलता नहीं मिलेगी, यह अब तो उसकी समझमें आ जाना चाहिये। और यंत्रोद्योग चलानेवाले भी जिसे समझ लें तो अनुका भी कल्याण ही होगा।

९-१२-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

## भावी भारतकी अक तसवीर

[दूसरी आवृत्ति]

किशोरलाल मशहवाला

कीमत १-०-०

डाकखर्च ०-५-०

## ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम

[तीसरी आवृत्ति]

लेखक: जुगतराम दवे; अनु० रामनारायण चौबरी

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

समीक्षित प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

## पश्चिमकी स्वतंत्रताका खोजलापन

[सन् १९१२ में अपरके शीर्षकसे गांधीजीने यह लेख लिखा था, जिसे श्री छगनलाल जोशीने मेहनत बुठाकर 'मिन्डियन ओपीनियन' में से खोजकर मेरे पास भेजा है। आज भारत जहां है, वहां उसे थोड़ी देर ठहरकर जिस लेखमें कही गयी बातोंको समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। और क्या सारी दुनियाके समझने जैसी बातें जिसमें नहीं हैं? सवाल केन्द्रित यंत्रोद्योगवाली संस्कृति बनाम विकेन्द्रित ग्रामोद्योगों पर आधारित जीवनका है। यह सवाल धीरे धीरे सारी दुनियाका बनता जा रहा है। परन्तु भारतमें हम अभी तक युरोपके स्याहीसोखकी तरह ही काम कर रहे हैं।

—म० प्र०]

हम भारतीय, जो अपने देशकी राजनीतिक स्वतंत्रता खो बैठे हैं, बहुत बार राजनीतिक स्वतंत्रताको असाधारण महत्त्व दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी मान लेते हैं कि देशके लोगोंकी सुख-शान्ति और अस्तित्वका आधार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर ही होता है। सच पूछा जाय तो स्थिति इससे बिलकुल अलुटी है। किसी देशकी सुख-शांतिका और उसके अस्तित्वका आधार उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि वहांके उद्योग-धंधों संबंधी तथा सांसारिक नियमों पर होता है। अतना ही नहीं, अगर ये नियम मजबूत और सीधे न हों—सच्ची सभ्यताके आधार पर न रचे गये हों, तो अकेली राजनीतिक स्वतंत्रता देशको तबाही, भुखमरी और विनाशके रास्ते जानेसे बचानेमें बिलकुल असमर्थ है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो उद्योग-धंधोंके तथा सांसारिक नियम कमजोर और अलुटे हों—झूठी और अस्थायी सभ्यता पर रचे हुअे हों—तो प्रजाकी सुख-शांति और उसके अस्तित्वकी दृष्टिके राजनीतिक स्वतंत्रता या प्रजातंत्र (डेमोक्रेसी) अपयोगी नहीं होता। ये नियम मजबूत न हों तो देशका काम चलानेके लिये स्वतंत्रताका साधन बिलकुल कमजोर साबित होता है।

आजकल (मार्च १९१२) अंग्लैण्डमें जो कुछ हो रहा है उस परसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है। वहां मजदूर-वर्गका अक हिस्सा किसी कारणसे कुछ दिनोंके लिये काम बन्द कर देता है तो उसका क्या परिणाम आता है? अक हफ्तेके भीतर देशका सारा मजदूर-वर्ग बिना रोजगार-धंधेका हो जाता है। आधी आबादी भुखमरीका शिकार हो जाती है और सारी जनता रोजाना जिन्दगीकी जरूरतोंकी अनेक चीजोंके बिना लाचार बन जाती है। जनसमाजकी अमारत देखते-देखते जमीनदोस्त होनेकी स्थिति पर पहुंच जाती है, मानो क्षणभरमें किसी जादुअी ताकतसे उसकी नींव खोद डाली गयी हो। बड़े बड़े राजनीतिज्ञोंकी बुद्धि भी जिस दशाको रोकनेमें अशक्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनताकी सत्ता—अधिकार—का नमूना सारा राज्यतंत्र जिस भयंकर परिणामको रोकनेमें थोड़ा भी समर्थ नहीं होता। नये देशोंकी खल्पित अस्मिमान माननेवाली, शास्त्र (सायन्स)की आश्चर्य-जनक शोधोंमें हतही रहनेवाली, हवाअी जहाज द्वारा आकाशका राज्य अपने अधिकारमें चतुराअी समझनेवाली किसी भी बुद्धिके, किसी भी दिमागके, किसी भी मनुष्यके सारी जनताके भूखसे होनेवाले विनाशको रोकनेकी तिलमात्र भी ताकत नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता और पश्चात्य सभ्यताके केन्द्र माने जानेवाले भाअीबन्द राज्य भी अपने शिरोमणिरूप अंग्लैण्डको उसकी मौत जैसी भयंकर आफतसे बचानेमें थोड़ी भी मदद नहीं कर सकते। करें भी कैसे? उनके अपने नियम भी अंग्लैण्डकी तरह अलुटे और गलत बुनियाद पर रचे हुअे हैं। वे मदद देनेके बजाय जिस प्रवाहमें अंग्लैण्ड बह रहा है उसीमें स्वयं कम-अधिक मात्रामें बहने लगे हैं। पाठको, ऐसी संपूर्ण सभ्य दुनियाको आश्चर्यमें डुबा देनेवाला

परिणाम मजदूरोके अंक हिस्सेके थोड़े समय तक काम बन्द कर देनेके फलस्वरूप आता है! यह साधारण घटना हमें क्या शिक्षा देती है? यह शिक्षा वही है, जो अपूर बताओ गयी है। वह यह कि देशकी प्रजाकी सुख-शांति और उसके जिन्दा रहनेके लिये अद्योग-धंधों संबंधी तथा सांसारिक नियम अत्तम होने चाहिये। यह प्रत्येक देशकी मुख्य आवश्यकता है। अैसे नियम न हों तो राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकशाही और विज्ञानकी खोजें करनेवाली बुद्धि लोगोंके कल्याणके लिये और जिन्दा रहनेके लिये बिलकुल बेकार है। बेशक, जो लोग अपार बुद्धिमत्तासे की गयी भारतके मूल नियमोंकी रचनाको न समझकर बिना सोचे-विचारे भारतमें जगह जगह यंत्र और कारखाने दाखिल करनेमें अुस प्राचीन भूमिकी अुन्नति समझते हैं, वे अंग्लैण्डकी अिस हड़तालसे जरूर सबक लेंगे। अिसके सिवा, जो लोग अंग्लैण्डको अथवा पश्चिमके देशोंको वहांकी राजनीतिक स्वतंत्रताके कारण सब प्रकारके सुखके धाम मानते हैं, वे भी अिस बातको समझेंगे कि प्रजाके थोड़े लोगोंको दौलतमंद बनानेका नहीं बल्कि समस्त प्रजाको सुखी बनानेका हमारा लक्ष्य हो, तो राजनीतिक सत्ता या स्वतंत्रताके बजाय देशके अद्योग-धंधों संबंधी और सांसारिक नियम सच्ची सम्यताकी नींव पर रचे हुअे होने चाहिये। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जहांकी सम्यता ही विनाशकारी है, वहां और किसी अुपायसे शांति या जीवनकी रक्षा नहीं की जा सकती। जहांकी सम्यता अुत्तम प्रकारकी है — और सदा अुसकी अुत्तमताकी रक्षा की जाती है — वहां राजनीतिक परतंत्रता भी देश तथा प्रजाकी सुख-शांति और जीवनको टिकाये रखनेमें रुकावट नहीं डाल सकती।

१९१२  
(गुजरातीसे)

मो० फ० गांधी

## शिक्षाकी नयी और पुरानी पद्धति

बुनियादी शिक्षाका मूलबिन्दु यह है कि अुसका माध्यम पाठ्य-पुस्तकें और भाषा नहीं, बल्कि अुत्पादक श्रम और जीवनोपयोगी अुद्योग है। केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहनेवाली अंग्रेजी शिक्षाके हिमायती वर्ग अिस बातका रहस्य अभी तक समझे नहीं हैं। विविध विषयोंकी जानकारी, अुसे अच्छी तरह प्रस्तुत करनेवाली लेखनकला, चर्चा और वाद-विवाद द्वारा अुसका भलीभांति निरूपण करनेकी योग्यता — यह सब अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिका केन्द्र-बिन्दु माना गया। अिसके फलस्वरूप पाठ्यपुस्तकोंका साधन बहुत बड़ा और लगभग अेकमात्र साधन बन गया। विदेशी शासन-तंत्रको चलानेके लिये, अुसके दफ्तरोंमें काम करनेके लिये अुपरोक्त शिक्षा बहुत अुपयोगी थी। अिसलिये पिछले लगभग १०० वर्षोंमें शिक्षाका जो चौखटा तैयार हुआ, वह अिन ध्येयोंको सामने रख कर चला और अुसीमें अुसकी अितिश्री अथवा कृतकृत्यता मानी गयी। अैसी स्थितिमें यह स्पष्ट है कि अुद्योग द्वारा शिक्षाकी बात समझमें नहीं आ सकती। और यदि समझमें भी अापे तो अितनी ही कि वह अेक प्रकारकी 'टेकनिकल' अुद्योग-शिक्षा है। अिसलिये प्रचलित शिक्षण-पद्धतिमें यदि अुद्योगका थोड़ा तत्त्व दाखिल किया जा सके तो बस है; अैसा मानकर और अितना करके पाठ्यपुस्तकों द्वारा शिक्षाकी पुरानी पद्धति जारी रखी जाती है। बुनियादी शिक्षा और प्रचलित शिक्षामें अगर कोअी बड़ा और मुख्य फर्क या दृष्टिभेद हो तो यह है कि बुनियादी शिक्षा बालकके विकसित हो रहे आतुर जीवनमें प्रवृत्ति या अुद्योग द्वारा काम करना चाहती है, जब कि पुरानी शिक्षा पाठ्यपुस्तकों और लेखन द्वारा अपना काम जारी रखना ठीक समझती है। अिसीलिये पहलीको शिक्षाकी जीवन-पद्धति या अुद्यम-पद्धति और दूसरीको अक्षर-पद्धति कहना चाहिये। यह बहुत बड़ा फर्क है। अुद्यम-पद्धति या जीवन-पद्धति सर्व व्यापक है। अुसके द्वारा सार्वत्रिक

शिक्षाकी कल्पना की जा सकती है और अुसे संभव बनाया जा सकता है। परन्तु अक्षर-पद्धतिके जरिये कुछ खास वर्ग ही तैयार किये जा सकते हैं। सब कोअी अुसमें अेकसा भाग नहीं ले सकते। यही वजह है कि अिस पद्धतिके भारतमें दाखिल होने पर पढ़नेवाले वर्गोंकी संख्या दस प्रतिशत ही रह गयी। बाकी लोगोंको अगर शिक्षा नामकी कोअी चीज मिली हो तो वह अुनके अपने अुद्यम-जीवनसे ही थोड़ी-बहुत मिल सकी।

अुद्यम-पद्धति अक्षर-पद्धति जैसी अेकांगी नहीं है। अक्षर-पद्धतिने अुद्यमको अैसा छोड़ दिया कि श्रम और अुद्योग समाजमें हलके माने जाने लगे। अुद्यम-पद्धति अक्षरज्ञानकी अैसी अुपेक्षा नहीं करती, परन्तु अुसकी मर्यादा समझकर काम करती है और अपने भीतर अुसका स्थान मानकर ही चलती है। समाजमें जो कुछ जीवनक्रम और अुद्यम चलता है अुसमें भाग लेना चाहिये और समझकर लेना चाहिये। अिसके लिये अुद्यम-जीवनके अनुबन्धमें जिन जिन विषयोंका ज्ञान आवश्यक हो वह मिलता रहना चाहिये। अिस तरह अुसमें अक्षर-पद्धतिका समावेश हो जायगा। अुस हद तक पाठ्यपुस्तकोंका भी अुसमें स्थान होगा। परन्तु केवल पाठ्य-पुस्तकें ही नहीं रहेंगी, क्योंकि पाठ्यपुस्तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जीवनको समझनेके प्रयत्नमें छिपा होता है। अिसलिये जीवनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम किये बिना शिक्षाकी प्रक्रिया नहीं चल सकती। बुनियादी शिक्षा अिस वस्तुको पकड़कर आगे बढ़ती है। अिसलिये वह जीवनका अिनकार नहीं करती, अथवा विद्यार्थीके जीवनका अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना और अुंचे नम्बरसे पास होना ही नहीं करती। अक्षर-पद्धतिकी शिक्षाका यही अर्थ हो रहा है।

शिक्षामें यह भेद भारी सामाजिक क्रान्ति करनेवाला है। अुसके सिद्धान्तको अपनाकर यदि शिक्षाकी पुनर्रचना हो, तो ही भारतमें जो सर्वोदयी समाज हम कायम करना चाहते हैं, अुसका स्वरूप समाज पकड़ने लगेगा। अैसा हो तो अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा अवश्य स्वावलंबी बनेगी, क्योंकि वह समाजके सच्चे जीवनके साथ जुड़ी हुअी होगी; आजकी तरह अुपरसे लादी हुअी नहीं होगी।

६-११-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

## कृषि और अुद्योग पर आधारित समाजका आदर्श

अुड़ीसाके प्रमुख नेताओंने, जिनमें कांग्रेसजन और प्रजा-समाजवादी दोनों थे, अुड़ीसा-यात्रामें विनोबाजीके साथ अेक घंटेका समय बिताकर देशकी भूमि-समस्याको सामने रखते हुअे भूदान-यज्ञकी चर्चा की। अिस दलमें राज्यके कुछ मंत्री भी थे। वह हादिक बातचीत थी, जिसमें मुलाकातियोंने अपनी कुछ शंकायें पेश कीं और अुन पर विनोबाका स्पष्टीकरण चाहा।

अुनका पहला प्रश्न था : "आप सबके लिये जमीन चाहते हैं। लेकिन हमारे देशमें जमीनकी कमी है। अैसी हालतमें हरअेकको आर्थिक दृष्टिसे लाभकारी जमीन कैसे दी जा सकती है?"

विनोबाने अुत्तर दिया : "यह शंका पहले-पहल आजसे ३॥-४ साल पहले अुठायी गयी थी। आज तो योजना-कमीशन भी बेजमीनोंको जमीन देनेकी आवश्यकताको स्वीकार करता है। हमारे देशमें अेक व्यक्तिके लिये अेक अेकड़ जमीन काफी मानी जाती है। अिस तरह पांच आदमियोंके अेक परिवारके लिये लगभग पांच अेकड़ जमीनकी आवश्यकता है। अब हमारे देशमें कुल ४८० लाख बेजमीन लोग हैं। अिसलिये हमें लगभग ५ करोड़ अेकड़ जमीन चाहिये। अगर जमीन खराब हो तो अिससे ज्यादाकी जरूरत होगी और अगर बहुत अच्छी हो तो अिससे कम जमीनमें भी हमारा काम चल जायगा।"

विनोबाने आगे कहा : "भारतमें लगभग ३० करोड़ अेकड़ अच्छी जमीन है। और करीब १० करोड़ अेकड़ पड़ती जमीन है।

अगर हमें अच्छी जमीनका छठा भाग मिल जाय तो फिलहाल हमारे देशकी भूमिसमस्या हल हो जायगी।”

“क्या आप मानते हैं कि यह समस्याका स्थायी हल होगा?”

“बिल्कुल नहीं। जिस समस्याको स्थायी रूपसे हल करनेके लिये आपको भारतमें तीन बातें करनी होंगी : (१) जमीनका फिरसे बंटवारा करना, (२) सिंचाईकी व्यवस्था करना और (३) सहायक ग्रामोद्योगोंका विकास करना। गांवके कच्चे मालका तैयार माल गांवमें ही बनना चाहिये। जिस त्रिविध कार्यक्रम पर अमल किये बिना गांवोंको समृद्ध और खुशहाल बनाना असंभव होगा।”

ऐसा लगा कि जिस अुत्तरसे अुन्हें संतोष हो गया। लेकिन वे जिस बातको पूरी तरह नहीं समझ सके कि विनोबा सबके लिये जमीन क्यों चाहते हैं। जिसलिये अुनमें से अेक भाईने आगे आकर अेक बड़ा व्यावहारिक प्रश्न पूछा : “आपके जिस सिद्धान्तके पीछे क्या विचार है कि जमीन सबको दी जानी चाहिये?”

“हां, यह अेक बड़ी बुनियादी वस्तु है जो मैंने देशके सामने रखी है। मेरा यह दावा है कि जमीन पर प्रत्येक मानवका जन्म-सिद्ध अधिकार है। मेरा विश्वास है कि धरतीमाताकी सेवा करनेका हरअेकको मौका मिलना चाहिये। जिस तरह प्यासेके लिये पानीकी जरूरत होती है, उसी तरह खेती सबके लिये जरूरी है। कोअी किसीसे यह कहनेकी हिम्मत नहीं कर सकता कि तुम्हें जमीन नहीं दी जायगी और तुम्हें खानोंमें काम करना पड़ेगा। जमीन पर हर आदमीका अधिकार है। हां, जो लोग खेती-काम करनेसे अिनकार करेंगे अुन्हें जमीन नहीं दी जायगी।”

“कृष्ण लोगोंको जमीन देनेका और दूसरोंको मिलों और कारखानोंमें काम देनेका विचार आपको कैसा लगता है?”

“सच है”, विनोबाने मुसकरा कर कहा, “आप आज मुझे अपनी जमीनसे वंचित रखेंगे और भविष्यमें न जाने किस वक्त मुझे काम देंगे। जिसका मतलब हुआ जमामें बेजमीन होना और अधारमें काम पाना! अगर मुझे कोअी काम देना है तो वह आज ही और मेरे गांवमें ही दिया जाना चाहिये। ग्रामोद्योगोंकी हर तरहसे रक्षा करनी होगी।”

विनोबाने आगे कहा : “सबके लिये जमीनके मेरे दावेके पीछे यह विश्वास है कि जमीनकी मालिकियतका विचार ही गलत है। मैं रोज रोज लोगोंसे कहता रहता हूं कि हवा और पानीकी तरह, आकाश या धूपकी तरह जमीन पर भी किसीकी व्यक्तिगत मालिकियत नहीं हो सकती। अुस पर अीश्वरका ही अधिकार हो सकता है और जिस तरह सारे गांवका अधिकार हो सकता है। हरअेकको काम करनेके लिये जमीन मिलनी चाहिये। लोग व्यक्तिगत खेती करते हैं या सहकारी खेती करते हैं, जिसकी मुझे बहुत परवाह नहीं है। लेकिन सहकारी खेती लोगों पर लादी नहीं जानी चाहिये। आप यह तो मानेंगे कि सहकारी खेती सामूहिक ढंगकी खेती नहीं है। बिहारके छपरा जिलेमें (जहां प्रति वर्गमील अेक हजारकी आबादी है) लोगोंको जमीनके छोटे छोटे टुकड़ों पर भी मैंने बहुत अच्छी फसलें पैदा करते देखा है।”

“क्या आपका यह मतलब है कि हमें छोटे पैमानेकी खेतीको प्रोत्साहन देना चाहिये?”

विनोबाने यह कह कर अुन्हें चुप कर दिया : “मुझे लगता है कि आपको छोटे पैमानेकी खेतीका विज्ञान बढ़ाना होगा। दुनियाकी आबादीमें बढ़ती होने पर प्रति मनुष्य जमीनकी मात्रामें अवश्य कमी होगी। जापानमें, जहांकी जमीन पर हमारे देशसे दोहरा बोझ है, लोग जमीनके अुतने ही बड़े टुकड़े पर हमारे यहांसे दुगुनी फसल पैदा करते हैं। जिस दिशामें वे हमसे बहुत आगे बढ़ गये हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि समय बीतने पर सारी दुनियाके लोगोंको मांसाहार छोड़कर शाकाहार पर आना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक स्वयं यह कहते हैं कि मांसाहारके लिये प्रति

मनुष्य दो अेकड़ जमीन चाहिये, जब कि शाकाहारके लिये प्रति मनुष्य आधा अेकड़ जमीन काफी होगी।

“जिस तरह हमारी अर्थरचनाके सुखद विकासके लिये हमें नीचेकी बातों पर जोर देना होगा : (१) जमीनके छोटे टुकड़ोंसे अधिक अनाज पैदा करनेके लिये वैज्ञानिक योजना, (२) सिंचाईकी अच्छी सुविधायें, (३) सहायक ग्रामोद्योगोंकी व्यवस्था, (४) गांवके कच्चे मालका गांवमें ही तैयार मालमें रूपान्तर और (५) जमीन पर सबके जन्मसिद्ध अधिकारकी स्वीकृति। यह आसानीसे समझा जा सकता है कि आगे चलकर हमें फावड़ेकी खेती पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। पवनारमें मैंने तरह तरहकी खेतीका प्रयोग किया है, जैसे फावड़ेके जरिये, बैलोंके जरिये और अंजिनके जरिये।”

कुछ समय तक शांति रही। फिर मुलाकातियोंके चेहरोंकी तरफ देखते हुये विनोबाने कहा : “आपके प्रश्नोंका अुत्तर देनेमें मुझे खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी संकोचके अपनी शंकायें या प्रश्न मेरे सामने रखें।”

जिससे प्रोत्साहित होकर अेक विचारमग्न मालूम होनेवाले कार्यकर्ताने पूछा : “अगर सारी जमीन पर गांवका अधिकार रहेगा, तो घरके बिल्कुल पासकी जमीनका क्या अुपयोग किया जायगा?”

विनोबाने कहा : “मैं तो चाहता हूं कि हर घरके आसपास लगभग आधा अेकड़ जमीन रहे जिसमें शाकभाजीका बगीचा लगाया जाय। लेकिन आजकल आर्थिक दृष्टिसे लाभप्रद जमीनके नाम पर लोग अुत्तरप्रदेश, बिहार और बंगालमें भी बड़े बड़े फार्मों पर खेती करने लगे हैं। शक्करकी मिलोंके पास अपने स्वावलंबी फार्म हैं। पहले हमारे यहां हिन्दू-मुसलमानोंके दंगे होते थे, अब अनाज बनाम गन्नेके दंगे हो सकते हैं। अुदाहरणके लिये, गोरखपुर जिलेमें आबादी बहुत घनी है और जमीन कम है। फिर भी वहां शक्करकी मिलोंके साथ बड़े बड़े फार्म जुड़े हुये हैं। वहां अनाजकी निश्चित तंगी है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप शक्कर न पैदा करें। लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक बनाअी गअी योजनाकी, बारी बारीसे अनाज और गन्ना पैदा करनेकी योजनाकी बात जरूर कहता हूं।

“जिस संबंधमें अेक दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारे गांवोंमें लगभग सारा खाद बरबाद हो जाता है। कहा जाता है कि अेक आदमीके मँलेकी वार्षिक कीमत करीब ६ रुपये होती है। जिस मँलेका बिल्कुल अुपयोग नहीं किया जाता। अगर जिसका ठीक ढंगसे अुपयोग हो तो जमीनकी शक्ति खूब बढ़ेगी और गांव समृद्ध बनेंगे।”

अेक दूसरे शक्तिशाली कार्यकर्ताने पूछा : “यद्यपि सरकार पूरे दिलसे आपके साथ सहमत नहीं होती, फिर भी कमसे कम हमारे राज्यमें सरकार भूदान कार्यकर्ताओंकी मदद करती है। जिसकी लोगों पर यह छाप पड़ती है कि सरकार आपके कामका समर्थन करती है। क्या जिससे भूदान-यज्ञ लोगोंमें आवश्यक जागृति पैदा करनेमें असफल नहीं रहेगा? अैसी हालतमें क्रान्ति कैसे हो सकेगी?”

जिस प्रश्नसे खुश होकर विनोबाने कहा : “आप जानते हैं कि अेक बहुत महत्त्वपूर्ण विशेषण अुस क्रान्तिके साथ जुड़ा हुआ है जो हम करना चाहते हैं। वह विशेषण है ‘अहिंसक’। हमारी श्रान्ति अहिंसक होगी। यह अेक अैसा शब्द है जो सारी भूमिकाको बदल देता है। यह विरोधीके विचारका ही निषेध करता है। हमारा कोअी शत्रु नहीं। आज जो लोग जमीनका दान नहीं देते वे कल देंगे। आज जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, वे कल हमारे साथ हो जायेंगे। किसीको हमारा शत्रु मानना या किसीके बारेमें अपने मनमें कोअी शंका रखना बेकार है। जो लोग कल तक

हमारे मित्र थे अन्हें हम आज अपने शत्रु मानने लगे तो जिससे शत्रुता पैदा होगी। अपनिषद् कहते हैं: 'तू ब्रह्म है'। लेकिन अगर हम मानें कि 'तू पापी है' तो हमारे आसपास हमें पापी ही पापी दिखायी देंगे। जिसलिये सरकारकी सेवा स्वीकार करनेमें कोभी नुकसान नहीं है। लेकिन जिस बातकी सावधानी रखनी चाहिये कि हम अपनी सेवामें सरकारके दमनकारी तत्त्व दाखिल न होने दें।

"जिसके सिवा, अब कांग्रेसने समाजवादी समाज-व्यवस्थाकी स्थापनाको अपना ध्येय घोषित किया है, लेकिन वह तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक गांवकी जमीन पर गांवका ही अधिकार नहीं होगा। मेरा आधार जनशक्ति पर है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेसके और मेरे बीचका भेद घट रहा है। लेकिन यह भेद तो हमेशा कायम ही रहेगा। क्योंकि हम सदा कांग्रेससे आगे रहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी यह स्वीकार करेंगे कि अगर लोगोंकी शक्ति और सरकारकी शक्ति अंक हो जाय (जो बहुत आसान नहीं है), तो देशके हितमें वह अच्छा ही होगा।

"अब प्रजा-समाजवादी पार्टीको देखिये। वे जमीनके सामाजिक अधिकारमें विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि मैंने उनका कार्यक्रम बुठा लिया है। मैं जिसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा उनसे पूछना है कि अन्होंने जिस कार्यक्रमको क्या इसीलिये छोड़ दिया कि मैंने उसे बुठा लिया है। मुझे जिस विषयमें कुछ शंका नहीं है कि अगर प्रजा-समाजवादी पार्टीकी, कांग्रेसकी और सरकारकी अदमनकारी शक्तियां जिस कामके लिये मिलकर अंक हो जाय तो बेजमीनोंकी समस्या छः महीनेके भीतर हल हो जायगी।"

"लेकिन जब ३६ लाख अकड़ जमीन अकट्टी करनेमें आपको तीन साल लगे हैं, तब पांच करोड़ अकड़का लक्ष्य सिद्ध करनेमें कितना समय लगेगा?"

"यह प्रश्न आप किसी तीसरे या चौथे दर्जेमें पढ़नेवाले विद्यार्थियोंसे पूछें तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन हम सब तो कॉलेजके दर्जे पर पहुंच गये हैं, जहां हम अंसी समस्याओंका विचार नहीं करते", विनोबाने मुसकराते हुअे कहा। जिससे सब लोग खिलखिला उठे।

विनोबाने आगे कहा: "आप देख सकते हैं कि अंक लाख अकड़ जमीन अंक सालमें मिली थी और ३६ लाख अकड़ तीन सालमें। अतः जिस तरहके प्रश्नका उत्तर देनेके लिये आपको अंचे गणित—अिटेग्रल कैल्क्युलस—के आधार पर विचार करना होगा।"

"अगर कुछ लोग आपका जोरदार विरोध करें और जमीन देनेसे अिनकार करें, तो आप किस तरह काम करनेकी सलाह देंगे?"

"हमें कड़ी जमीन खोदनेके लिये मजबूत औजारोंकी जरूरत होती है। मेरा तरीका है लोकमतकी हवा पैदा करनेका। जब तेज हवा चलती है, तब न केवल पक्षी बल्कि पत्ते भी हिलते हैं और आकाशमें अडुते हैं। अुसी तरह जब हर बच्चा कहेगा कि हमारे देशमें कोभी बेजमीन नहीं रहेगा, तब सचमुच अंसी स्थिति अुत्पन्न हो जायगी। मंत्रमें अपार शक्तियां होती हैं। हम सब 'भारत छोड़ो' मंत्रका जादू तो जानते ही हैं।"

"क्या दूसरे शब्दोंमें आप नया कानून बनानेकी हिमायत नहीं करते?" यह उनका अंतिम प्रश्न था।

विनोबाने उत्तर दिया: "लोकतंत्रको अपना अंक खास कार्य करना होता है। कानून अुसका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। लेकिन अगर कोभी कानून बनाना हो तो वह अंसा नहीं होना चाहिये जो खुद सरकारको ही मूर्ख बनावे। जमीनकी अंचीसे अंची मर्यादा ३० या ४० अकड़ तय करनेवाला कोभी कानून लाभदायक साबित नहीं होगा। अुससे 'जैसे थे' की स्थिति ही बनी रहेगी। जब मैं बिहारमें था तब अंक बड़े जिलेके मजिस्ट्रेटसे

मिलनेका मुझे मौका आया। अन्होंने मुझसे कहा कि जब सरकारने उनसे ३० अकड़से अूपर जमीन रखनेवाले जमींदारोंकी सूची पेश करनेके लिये कहा तो अन्होंने अंसी सूची तैयार की, लेकिन अन्हें मुश्किलसे ३० नाम जिस श्रेणीमें मिले। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा कि अंसा क्यों हुआ। तब अन्होंने कहा कि जमींदारोंने सारी जमीन अपने परिवारके सदस्योंमें बांट दी थी।

"या पश्चिम बंगालको ही लीजिये, जहां मैं हाल ही होकर आया हूँ। कहा जाता है कि प्रस्तावित कानूनके मातहत वहांकी लगभग १२५ लाख अकड़ जमीनमें से ४ लाख अकड़ भी मुश्किलसे सरकारके हाथमें आयेगी; और अगर २ लाख अकड़ जमीन भी मिल गयी तो सरकारको संतोष हो जायगा। जिस तरह कानून बनानेकी सारी मेहनतके बाद १२५ लाखमें से केवल २ लाख अकड़ जमीन आपके हाथमें आती है! और वह भी रद्दीसे रद्दी जमीन होगी। फिर, अुसका अमल मजी १९५३ से शुरू हुआ माना जायगा। अब अुसे क्या कहा जाय—कानून या अुसका दबाव? जिसके सिवा, सरकार कहती है कि जिस तरह मिलनेवाली जमीन वह खुद बांटेगी। वह बेजमीनोंको जमीन नहीं देगी, जैसा कि हम भूदानमें करते हैं। अुसका विचार ५ अकड़की आर्थिक अिकाशियां बनानेका है। दूसरे शब्दोंमें वह सबसे पहले आधा अकड़ अुन लोगोंको देगी जिनके पास ४ $\frac{1}{2}$  अकड़ पहलेसे मौजूद हैं। फिर १ अकड़ अुन्हें देगी जिनके पास ४ अकड़ हैं। इसी तरह वह आगे बढ़ेगी। जिस प्रक्रियामें बेजमीनके हाथमें तो अंक अंक जमीन भी मुश्किलसे पहुंचेगी। अंसे कानूनका क्या अुपयोग है? अंकमात्र अुपयोगी कानून यह है कि सारी जमीन पर गांवका अधिकार हो।"

जिस परसे दूसरा स्वाभाविक प्रश्न यह आया:

"लेकिन आपके कहे अनुसार कानून बन जाय तो क्या लोगों द्वारा अुसे स्वीकार करानेके लिये शक्ति या दबावका अुपयोग नहीं करना पड़ेगा?"

"नहीं करना पड़ेगा। दबावका प्रश्न तभी खड़ा होता है, जब आप राज्यकी सशस्त्र शक्तिका अुपयोग करते हैं। बेशक वैसा करना गलत होगा। दूसरी तरफ अगर आप जाग्रत लोकमतके आधार पर कोभी कानून बनाते हैं तो अुसमें दबावका प्रश्न कहां रह जाता है? लेकिन जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ, जमीनकी अंचीसे अंची मर्यादा बांधनेवाला कानून किसीकी मदद नहीं करता।"

अब अंक घंटेका समय हो चुका था। नेताओंने विनोबाको अुनकी बोधप्रद बातचीतके लिये धन्यवाद दिया। अन्होंने विनोबाके अुड़ीसा प्रवास-कालमें फिरसे मिलनेका वचन दिया। अुठते-अुठते अुनमें से अंक मंत्रीने कहा: "मेरे खयालमें हमारे देशकी राजनीतिक पार्टियां आम जनतासे नहीं बल्कि मध्यमवर्गसे डरती हैं।"

"बिलकुल अंसा ही है, क्योंकि मध्यमवर्ग शोरगुल मचानेकी शक्ति रखता है", विनोबाने अंतमें कहा, और दोनों हाथ जोड़ कर अुनसे विदा ली।

(अंग्रेजीसे)

सुरेश रामभाजी

| विषय—सूची                              | पृष्ठ |
|--|-------|
| मनुष्य और मशीन                         | ३२९   |
| अम्बर चरखा                             | ३२९   |
| अम्बर चरखेका अर्थशास्त्र               | ३३०   |
| भाषाओंमें मां-मौसीका न्याय             | ३३१   |
| करघा बनाम चरखा!                        | ३३२   |
| पश्चिमकी स्वतंत्रताका खोखलापन          | ३३३   |
| शिक्षाकी नयी और पुरानी पद्धति          | ३३४   |
| कृषि और अुद्योग पर आधारित समाजका आदर्श | ३३४   |
| सुरेश रामभाजी                          | ३३४   |